

# गैर निवासी खातों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 03.01.2023

प्र.1. एनआरई खाता कौन खोल सकता है?

निम्नलिखित व्यक्ति आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना एनआरई खाता खोल सकते हैं।

क.

- अनिवासी भारतीय (अर्थात् कोई भारतीय नागरिक, जो लाभकारी रोजगार के लिए या व्यवसाय या व्यवसाय करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से विदेश गया हो, तथा ऐसी परिस्थितियाँ हों जो अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर रहने का इरादा दर्शाती हों)
- भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ)/ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक)।
- विदेशी बंदरगाहों पर स्थित और विदेश में रहने वाली शिपिंग कंपनियों/एयरलाइंस में कार्यरत भारतीय राष्ट्रीयता या भारतीय मूल के कू मेम्बर।
- जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए हैं और विदेश में ही रह रहे हैं।

विदेश में प्रतिनियुक्त/तैनात भारतीय नागरिक या विदेशी सरकारों/सरकारी एजेंसियों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम कर रहे भारतीय नागरिक।

प्र.2 पीआईओ कौन है?

भारतीय मूल के व्यक्ति [पीआईओ] का अर्थ भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति है जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या ऐसे अन्य देश के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक है जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

क.

- i. जो भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के तहत भारत का नागरिक था;  
अथवा
- i. जो उस क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया;  
अथवा
- ii. जो भारत के किसी नागरिक या खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का बच्चा या पौत्र या परपौत्र है;  
या

जो भारत के नागरिक का विदेशी मूल का जीवनसाथी है या खंड (क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति का विदेशी मूल का जीवनसाथी है

प्र.3 ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) कौन हैं?



गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, 9 जनवरी, 2015 से पंजीकृत सभी मौजूदा भारतीय मूल के कार्डधारकों को भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक माना जाएगा। भारत के प्रवासी नागरिक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

कोई भी पूर्ण आयु और क्षमता वाला व्यक्ति, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है या रह चुका है, के अतिरिक्त:-

क.

- i. जो किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन संविधान के लागू होने के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था; या
- ii. जो किसी अन्य देश का नागरिक है, किन्तु संविधान के लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने के योग्य था; या

जो किसी अन्य देश का नागरिक है, किन्तु ऐसे क्षेत्र का निवासी है जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया; या जो ऐसे नागरिक की संतान या पौत्र या परपौत्र है; या

क.

- iv. ऐसा व्यक्ति जो (i) में उल्लिखित व्यक्ति की संतान है; या
- v. ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग बच्चा है और जिसके दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है; या
- vi. भारत के नागरिक का विदेशी मूल का जीवनसाथी अथवा भारत के विदेशी नागरिक का विदेशी मूल का जीवनसाथी, जो ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए पंजीकृत और अस्तित्व में रहा हो।

जब ओसीआई अनिश्चित काल तक रहने के इरादे से भारत आता है और 182 दिनों से अधिक समय तक रहता है, तो वह एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई को मिलने वाले विशेषाधिकार खो देता है। ऐसे ओसीआई को अपने एनआरआई/एनआरओ/एफसीएनआर खातों को निवासी खाते में, या एनआरआई/एफसीएनबी खाते को आरएफसी खाते में, जैसा भी मामला हो, पुनः नामित/परिवर्तित करना आवश्यक है। इसके अलावा, एक ओसीआई एक निवासी ग्राहक को अनुमति वाले सभी प्रकार के खाते खोल सकता है।

#### प्र.4. एनआरआई/पीआईओ हमारे बैंक में किस प्रकार के खाते रख सकते हैं?

एनआरआई/पीआईओ द्वारा निम्नलिखित प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं।

##### i. एनआरआई एसबी:

कैसे खोलें	मुद्रा	निविदा /आवधिकता	ब्याज	प्रत्यावर्तनीयता	कर देयता
सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में आवक प्रेषण	केवल भारतीय रुपयों में	चेक बुक सुविधा सहित चालू खाता।	कृपया आज की ब्याज दर के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें।  ब्याज	स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तनीय	सभी करों से मुक्त

A.

##### i. एनआरआई मीयादी:NRE TERM DEPOSIT:

कैसे खोलें	मुद्रा	निविदा / आवधिकता	ब्याज	प्रत्यावर्तनीयता	कर देयता
<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में आवक विप्रेषण</li> </ul>	केवल भारतीय रुपयों में	न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष.	कृपया आज की ब्याज दर के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें।  ब्याज	स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तनीय	सभी करों से मुक्त
<ul style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा एनआरई एसबी खाते से डेबिट करें</li> </ul>					

iii. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक): एफसीएनआर(बी)

<p>सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में आवक विप्रेषण</p> <p>• एनआरई एसबी या एनआरई मीयादी से डेबिट</p> <p>• विदेशी मुद्राएं/यात्री चेक</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसडी</li> <li>जीबीपी</li> <li>यूरो</li> <li>सीएडी</li> <li>एयूडी</li> </ul>	न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष	कृपया आज की ब्याज दर के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें।  ब्याज	स्वतंत्र रूप से	सभी करों से मुक्त
--	--	---------------------------------	---	-----------------	-------------------

iv. सी साधारण (एनआरओ) एसबी:

कैसे खोलें	मुद्रा	निविदा / आवधिक	ब्याज	प्रत्यावर्तनीयता	कर देयता
<p>सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में आवक विप्रेषण</p> <p>• एनआरई खाते से डेबिट।</p>	केवल भारतीय रुपयों में	चेक बुक सुविधा सहित चालू खाता।	<p>कृपया आज की ब्याज दर के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें।</p> <p>ब्याज</p>	कुछ शर्तों और भुगतान के अधीन प्रति वित्तीय वर्ष 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रत्यावर्तित किया जा सकता है	अर्जित ब्याज कर के अधीन है।

v. अनिवासी साधारण (एनआरओ) मीयादी:

कैसे खोलें	मुद्रा	निविदा / आवधिकता	ब्याज	प्रत्यावर्तनीयता	कर देयता
<p>सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में आवक विप्रेषण</p> <p>• एनआरई खाते से डेबिट।</p>	केवल भारतीय रुपयों में	न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम 10 वर्ष	<p>कृपया आज की तिथि के अनुसार ब्याज दर के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें।</p> <p>ब्याज</p>	कुछ शर्तों और भुगतान के अधीन प्रति वित्तीय वर्ष 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रत्यावर्तित किया जा सकता है	जैसा लागू हो

उपरोक्त के अलावा, एनआरआई निम्नलिखित प्रकार के भारतीय रुपए खाते भी रख सकते हैं। एनआरई चालू खाते, एनआरओ चालू खाते, एनआरई आवर्ती जमा।

## प्र.5. एनआरई खातों के लिए अनुमेय डेबिट क्या हैं?

एनआरई खातों के लिए निम्नलिखित अनुमेय डेबिट हैं।

- क.
- स्थानीय भुगतान।
  - विदेश में धन विप्रेषण।
  - उसी खाताधारक के एनआरई/एफसीएनआर (बी) खातों में स्थानांतरण।
  - शर्तों के अधीन खाताधारक के अलावा अन्य व्यक्ति के एनआरई खाते में स्थानांतरण।
  - किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों/वाणिज्यिक पत्रों में निवेश या भारत में अचल संपत्ति की खरीद के लिए, बशर्ते कि ऐसा निवेश/खरीद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों या दी गई सामान्य/विशेष अनुमति के अंतर्गत आता हो।
  - कोई अन्य लेनदेन यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य या विशेष अनुमति के अंतर्गत आता हो।

## प्र.6 एनआरई खातों में अनुमेय क्रेडिट क्या हैं ?

एनआरई खातों के लिए निम्नलिखित अनुमेय क्रेडिट हैं।

- A.
- किसी भी स्वीकृत मुद्रा में आवक विप्रेषण की आय।
  - एनआरआई की वर्तमान आय जैसे किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज, आयकर के भुगतान के अधीन।
  - खाताधारक के एनआरई/एफसीएनआर खातों से स्थानान्तरण और इन खातों में रखी गई धनराशि पर अर्जित ब्याज।
  - एनआरआई खाताधारक द्वारा भारत की अपनी अस्थायी यात्रा के दौरान विदेश से लाए गए विदेशी मुद्रा नोटों/ट्रेवलर्स चेक की आय, शर्तों के अधीन।
  - व्यक्तिगत चेक/बैंक ड्राफ्ट की आय, शर्तों के अधीन।
  - निम्नलिखित को एनआरई खाते में जमा किया जा सकता है, बशर्ते प्रतिभूतियाँ/इकाइयाँ खाताधारक के एनआरई/एफसीएनआर खाते से डेबिट करके या सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त आवक विप्रेषण से खरीदी गई हों।
    - राष्ट्रीय योजना/बचत प्रमाणपत्रों सहित सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता आय और ब्याज, साथ ही भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर बेची गई म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर आय और लाभांश।
    - फ्लैट/प्लॉट का आवंटन न होने के कारण गृह निर्माण एजेंसियों द्वारा किए गए आवेदन/बयाना राशि को ब्याज, यदि कोई हो (उस पर देय आयकर का शुद्ध) सहित वापस करना।
  - भारतीय कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए शेयर/डिबेंचर अभिदान या उसके किसी भाग की वापसी, यदि अभिदान की राशि खाताधारक के एनआरई/एफसीएनआर खाते से या सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक धन विप्रेषण द्वारा भुगतान की गई हो।
  - आवक विविप्रेषण, एनआरई/एफसीएनआर निधियों से खरीदी गई अचल संपत्ति की बिक्री आय शर्तों के अधीन।
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य या विशेष अनुमति के अंतर्गत कवर किया गया कोई अन्य ऋण।

प्र.7	क्या किसी एनआरआई/पीआईओ खाताधारक द्वारा भारत की अस्थायी यात्रा के दौरान विदेश से लाए गए विदेशी मुद्रा नोटों/ट्रैवलर्स चेकों की आय को उसके एनआरआई खाते में जमा किया जा सकता है?
क.	<p>हां, ऐसे विदेशी मुद्रा नोटों/ट्रैवलर्स चेकों की आय को उसके एनआरआई खाते में जमा किया जा सकता है, बशर्ते:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• इन्हें खाताधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है।</li> <li>• ट्रैवलर्स चेक भारत के बाहर जारी किया गया होना चाहिए और खाताधारक द्वारा संबंधित बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में जारी किया जाना चाहिए।</li> </ul> <p>यदि विदेशी मुद्रा नोटों की राशि 5000 अमेरिकी डॉलर या इसके बराबर से अधिक है या कुल राशि यानी मुद्रा नोट और यात्री चेक एक साथ 10000 अमेरिकी डॉलर या इसके बराबर से अधिक है, तो इसे मुद्रा घोषणा पर सीमा शुल्क विभाग को घोषित किया जाना चाहिए। फॉर्म (सीडीएफ) भारत में आगमन के समय और करेंसी नोट/टीसी जमा करते समय अधिकृत डीलर को जमा किया जाना चाहिए।</p>
प्र.8.	क्या व्यक्तिगत चेक और बैंक ड्राफ्ट से प्राप्त आय को एनआरआई खातों में जमा किया जा सकता है?
क	<p>सामान्यतः किसी एनआरआई/पीआईओ खाताधारक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा खाते पर निकाले गए व्यक्तिगत चेक तथा किसी भी स्वीकृत मुद्रा में देय बैंक ड्राफ्ट, जिसमें भारतीय रुपए में व्यक्त किए गए लिखत भी शामिल हैं, जिसके लिए प्रतिपूर्ति विदेशी मुद्रा में प्राप्त होगी, की आय उसके एनआरआई खाते में जमा की जा सकती है, बशर्ते कि यह राशि भारत की उसकी अस्थायी यात्रा के दौरान व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की गई हो तथा चेक/ड्राफ्ट खाताधारक के नाम पर हों।</p>
प्र.9.	क्या नेपाल/भूटान का कोई एनआरआई/पीआईओ भारत में एनआरआई खाता रख सकता है?
क.	<p>अ) जब भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति रोजगार या व्यवसाय या व्यवसाय करने या किसी अन्य उद्देश्य से अनिश्चित अवधि के लिए नेपाल और भूटान में रहने का इरादा जताते हुए भारत से नेपाल और भूटान जाता है, तो उसका मौजूदा खाता निवासी रुपया खाते के रूप में जारी रहेगा। ऐसे खाते को गैर-निवासी (साधारण) खाता (एनआरओ) के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए।</p> <p>ब) बैंक नेपाल और भूटान में रहने वाले उन व्यक्तियों के एनआरआई/एफसीएनआर (बी) खाते खोल और रख सकता है जो भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के हैं, बशर्ते इन खातों को खोलने के लिए धन मुक्त विदेशी मुद्रा में भेजा जाए। एनआरआई/एफसीएनआर (बी) खातों में अर्जित ब्याज नेपाल और भूटान में रहने वाले एनआरआई और पीआईओ को केवल भारतीय रुपये में ही भेजा जा सकता है।</p> <p>ग) अधिसूचना संख्या फेमा 5/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 के विनियमन 4(4) के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी नेपाल/भूटान में निवासी व्यक्ति के लिए रुपया खाता खोल और बनाए रख सकते हैं।</p>
प्र 10	क्या नेपाल/भूटान में रहने वाला कोई एनआरआई/पीआईओ भारत में एनआरआई खाता रख सकता है?
A.	क्या वरिष्ठ नागरिक एनआरआई अपनी एनआरआई मीयादीओं पर किसी अधिमान्य ब्याज दर के लिए पात्र हैं?
प्र 11.	क्या कोई एनआरआई/पीआईओ अपने एनआरआई खाते के लिए निवासी संयुक्त खाताधारक रख सकता है?
क	<p>हाँ।</p> <p>एनआरआई/पीआईओ किसी निवासी करीबी रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित करीबी रिश्तेदार) के साथ पूर्व या उत्तरजीवी आधार पर संयुक्त खाता खोल सकते हैं।</p>

प्र. 12. कितने एनआरआई व्यक्ति एक साथ मिलकर एकल एनआरआई संयुक्त खाता खोल सकते हैं?

क. संयुक्त खाते में 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए

प्र.13. क्या एनआरआई खाते में निवासी संयुक्त खाताधारक खाते का परिचालन कर सकता है?

क. हाँ, बशर्ते कि एनआरआई ने विशिष्ट पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण पत्र दिया हो। निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक स्थानीय भुगतान के लिए एनआरआई खाते से धनराशि निकाल सकता है और यदि खाताधारक भारत में निवेश करने के लिए पात्र है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को ऐसे निवेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए खाते को संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।

प्र.14. क्या कोई निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक एनआरआई की ओर से एनआरआई खाता खोल/बंद कर सकता है?

क. नहीं

प्र.15. क्या कोई निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक एनआरआई खाते में रखी गई धनराशि को भारत से बाहर प्रत्यावर्तित कर सकता है?

क. एक निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक एनआरआई खाते में रखी गई धनराशि को केवल एनआरआई खाताधारक के विदेश में रखे गए खाते में वापस भेज सकता है, न कि तीसरे पक्ष के खाते में। वह किसी निवासी को उपहार के रूप में भुगतान नहीं कर सकता है या अनिवासी खाताधारक की ओर से खाते से किसी अन्य एनआरआई खाते में धनराशि स्थानांतरित नहीं कर सकता है।

प्र.16. क्या एनआरआई खाते के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है?

क. हाँ, एनआरआई खाते के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र.17. क्या एक ही/अन्य व्यक्ति के एनआरओ खातों के बीच स्थानांतरण की अनुमति है?

क. हाँ

प्र.18. क्या निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विदेशी मुद्रा नोटों और ट्रेवलर चेकों की आय को एनआरआई खातों में जमा कर सकता है?

क. नहीं

प्र.19. क्या एनआरआई मीयादी को जमा अवधि के दौरान बढ़ाया/बंद किया जा सकता है?

क. एनआरआई मीयादी की अवधि को जमा अवधि के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जमा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए। विस्तारित जमा की अवधि विस्तार की तारीख से प्रभावी न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष होगी। हालाँकि एक वर्ष की न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले बढ़ाए जाने पर कोई ब्याज देय नहीं है। एनआरआई मीयादी को लागू दंडात्मक कटौती के अधीन, परिपक्वता से पहले भी बंद किया जा सकता है। यदि जमा राशि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए चली है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

प्र.20. क्या एनआरआई/पीआईओ एनआरओ खाते से अपने एनआरआई खाते में धनराशि स्थानांतरित कर सकते हैं या अपने एनआरओ खाते से विदेश में धनराशि भेज सकते हैं?

क. एनआरआई/पीआईओ अपने एनआरओ खाते से अपने एनआरआई खाते में निधि स्थानांतरित कर सकते हैं या अपने एनआरओ खाते से प्रति वित्तीय वर्ष 1 मिलियन अमरीकी डॉलर या समतुल्य की समग्र सीमा के भीतर विदेश में निधि भेज सकते हैं, जो लागू कर के भुगतान के अधीन है और प्रेषक द्वारा फॉर्म 15 सीएम में एक वचनबद्धता और फॉर्म 15 सीबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

**प्र.21. क्या एनआरआई/पीआईओ को उनकी स्वयं की एनआरआई/एफसीएनआर जमाराशियों के आधार पर भारतीय रुपये में ऋण प्रदान किया जा सकता है?**

**क.** हां, एनआरआई/पीआईओ के साथ-साथ भारत में तीसरे पक्ष को एनआरआई/एफसीएनआर जमा के आधार पर बिना किसी अधिकतम सीमा के सामान्य मार्जिन आवश्यकताओं के अधीन ऋण प्रदान किया जा सकता है।

**प्र.22. क्या एनआरआई/पीआईओ को उनकी अपनी एनआरओ जमा राशि पर भारतीय रुपये में ऋण दिया जा सकता है?**

**क.** हां, एनआरआई/पीआईओ के साथ-साथ भारत में तीसरे पक्ष को एनआरओ जमाराशियों के विरुद्ध बिना किसी सीमा के ऋण दिया जा सकता है, बशर्ते कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने या नीचे उल्लिखित निषिद्ध उद्देश्यों के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए ऋण दिया जा सकता है। हालांकि, खाताधारक या विदेश में तीसरे पक्ष को एनआरओ जमाराशियों के विरुद्ध ऋण नहीं दिया जा सकता है।

**प्र.23. वे कौन से निषिद्ध उद्देश्य हैं जिनके लिए एनआरआई/पीआईओ को ऋण नहीं दिए जा सकते?**

एनआरआई/पीआईओ को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ऋण नहीं दिया जा सकता:

**क.** i. पुनः ऋण देना  
i. कृषि/बागान गतिविधियाँ चलाना  
ii. रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश करना। (रियल एस्टेट व्यवसाय में टाउनशिप का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण, सड़कें/पुल शामिल नहीं हैं)  
iv. वाणिज्यिक संपत्ति का अधिग्रहण।

**प्र.24. क्या कोई एनआरआई/पीआईओ भारत में अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है?**

**क.** एनआरआई/पीआईओ भारत में कृषि भूमि/बागान संपत्ति या फार्म हाउस के अलावा अन्य अचल संपत्ति आवक धन विप्रेषण के साथ-साथ अपने अनिवासी खाते में रखे गए प्रत्यावर्तनीय या गैर-प्रत्यावर्तनीय निधियों से प्राप्त कर सकते हैं। वह उपहार और विरासत के माध्यम से भी अचल संपत्ति प्राप्त कर सकता है।

**प्र.25. क्या एनआरआई/पीआईओ अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि को वापस ला सकते हैं?**

**क.** एनआरआई/पीआईओ अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को विदेशी आवक विप्रेषण या एफसीएनआर/एनआरआई खाते से निकाली गई राशि के बराबर वापस ला सकते हैं। अतिरिक्त बिक्री आय, यदि कोई हो, एनआरओ खाते में जमा की जा सकती है, जो पात्र कर के भुगतान के अधीन प्रति वित्तीय वर्ष 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक विदेश में प्रत्यावर्तन के लिए पात्र होगी। आवासीय संपत्तियों के मामले में, बिक्री आय का प्रत्यावर्तन ऐसी दो से अधिक संपत्तियों तक सीमित है।

यदि संपत्ति रुपये के स्रोतों/विरासत/विरासत से अर्जित की गई है, तो एनआरआई या पीआईओ एनआरओ खाते में रखी गई शेष राशि से प्रति वित्तीय वर्ष 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या समतुल्य राशि तक की राशि भेज सकते हैं, जो कर अनुपालन के अधीन है। हालांकि यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि ऐसी विरासत में मिली संपत्ति कृषि/बागान संपत्ति या फार्म हाउस है।

अनिवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध विभिन्न जमा योजनाओं से संबंधित विनियमों को अधिसूचना संख्या फेमा 5 दिनांक 03 मई, 2000 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है। संबंधित अधिसूचना और ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज) परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं तथा कृपया पूर्ण विवरण के लिए उनका संदर्भ लें।

केन्द्रीकृत एनआरआई केंद्र

सामरिक एवं संसाधन विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय बेंगलूरु, 112 जेसी रोड,  
कर्नाटक, भारत 560002

080-22258312 / 080-68212121 [nrihub@canarabank.com](mailto:nrihub@canarabank.com) /  
[nriseviceidmum@canarabank.com](mailto:nriseviceidmum@canarabank.com)

Internal